

[2024] 12 एस.सी.आर 2083: 2024 आई.एन.एस.सी. 1032

शंभू देबनाथ

बनाम

बिहार राज्य और अन्य

(2024 की आपराधिक अपील सं. 5579)

20 दिसंबर 2024

[विक्रम नाथ और प्रसन्ना बी. वराले, न्यायमूर्तिगण]

### विचार के लिए मुद्दा

क्या उच्च न्यायालय ने दंड संहिता, 1860 की धारा 302 के तहत जघन्य अपराध के विशिष्ट आरोपों और दंड संहिता, 1860 की धारा 302 के तहत लगाए गए आरोपों को स्थापित करने वाले आरोप-पत्र के सत्य होने के बावजूद अभियुक्तों को अग्रिम जमानत देने में गलती की है।

### हेडनोट्स<sup>1</sup>

शिकायतकर्ता ने पीड़ित को जलते हुए देखा और प्राथमिकी दर्ज की - शिकायतकर्ता ने एक लिखित आवेदन प्रस्तुत किया था क्योंकि उसने देखा था कि उसके 20 वर्षीय भतीजे के शरीर में आग लगी हुई थी - पूछे जाने पर, घायल भतीजे ने आरोपी व्यक्तियों का नाम बताया - प्राथमिकी दर्ज की गई:

अग्रिम जमानत के लिए विचारणीय कारक - न्यायालयों को अपराध की प्रकृति और गंभीरता, आरोपी की भूमिका और मामले के तथ्यों का मूल्यांकन करना चाहिए - अपराध की जघन्य प्रकृति को ध्यान में रखने में विफलता - उच्च न्यायालय, प्राथमिकी में अभियुक्तों के खिलाफ विशिष्ट कथनों और आरोपपत्र में दिए गए निष्कर्षों पर गौर करने में विफल रहा कि दंड संहिता, 1860 की धारा 302 के तहत लगाए गए आरोप सत्य हैं - ऐसा यांत्रिक और गुप्त दृष्टिकोण टिकाऊ नहीं है:

अभिनिर्धारित किया: उच्च न्यायालय ने दंड संहिता, 1860 की धारा 302 के तहत एक

जघन्य अपराध से जुड़े मामले में उत्तरदाता सं. 2 से 4 को अग्रिम जमानत देने में गलती की - प्राथमिकी में जघन्य अपराध, यानी मृतक को मारने के इरादे से आग लगाने के बारे में विशेष रूप से दावा किया गया था, और आरोप-पत्र में कहा गया था कि ऐसे जघन्य अपराध के सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप सही पाए गए हैं - इसके बावजूद, उच्च न्यायालय ने रहस्यमय और यांत्रिक तरीके से राहत प्रदान की - ऐसे गंभीर अपराधों में अग्रिम जमानत प्रदान करने के लिए अभिलेख पर मौजूद सामग्री, अपराध की गंभीरता और आरोपी की भूमिका पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता होती है - वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय इन पहलुओं पर विचार करने में विफल रहा और सबूतों की अवहेलना की। [कंडिका. 12-13]

अभियुक्तों द्वारा उपस्थित न होने का परिणाम - नोटिस की तामील के बावजूद, अभियुक्त शुरू में उपस्थित नहीं हुआ - बाद में, उपस्थित होने के बाद और प्रति-शपथ पत्र दाखिल करने की छूट मांगने पर, अभियुक्तों ने अपने अधिवक्ताओं को उपस्थित न होने का निर्देश दिया - सर्वोच्च न्यायालय ने अभियुक्तों को अगली तारीख पर न्यायालय में पेश करने के लिए गैर-जमानती वारंट जारी किया:

**अभिनिर्धारित किया:** नोटिस की तामील के बावजूद, आरोपी व्यक्ति शुरू में उपस्थित होने में विफल रहे - अंततः, आरोपी व्यक्ति उपस्थित हुए और प्रति-शपथ पत्र दाखिल करने के लिए समय माँगा - हालाँकि, आरोपी व्यक्तियों ने अपने अधिवक्ता को निर्देश दिया है कि वे अब उनकी ओर से उपस्थित न हों - इसलिए, यह उचित है कि गैर-जमानती वारंट जारी करने का निर्देश जारी किया जाए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उन्हें हिरासत में लिया जाए और अगली तारीख को इस न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए - ऐसे गैर-जमानती वारंट केवल उपस्थिति के उद्देश्य से जारी किए गए थे क्योंकि उत्तरदाता सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने से बच रहे थे। [कंडिका. 8, 11]

## न्याय दृष्टांत

सुशीला अग्रवाल बनाम राज्य (दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र), 2020 आई.एन.एस.सी. 106: [2020] 2 एस.सी.आर. 1- पर निर्भर किया गया।

## अधिनियमों की सूची

दंड संहिता, 1860।

## मुख्य शब्दों की सूची

अग्रिम जमानत; भा.दं.सं. की धारा 307; जघन्य अपराध; गुप्त आदेश; यांत्रिक तरीके से; हत्या करने का इरादा; विशिष्ट कथन; आरोप-पत्र।

## प्रकरण से उत्पन्न

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकार : 2024 की आपराधिक अपील सं. 5579

2023 की सी.आर.एल.एम. सं. 28525 में पटना उच्च न्यायालय के दिनांक 25.07.2023 के निर्णय एवं आदेश से

## पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलकर्ता के लिए- अनुज प्रकाश, नमित सक्सैना, नीरज दुबे, प्रदुम कुमार, चैतन्य, अधिवक्तागण।

उत्तरदाताओं के लिए- समीर अली खान, प्रांजल शर्मा, अरूप बनर्जी, अमिताव पोद्दार, सुश्री अनन्या पोद्दार, सौरव मित्रा, अधिवक्तागण।

सुधीर तिवारी, वरिष्ठ निरीक्षक (जा.अ.)

## सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

### निर्णय

विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति

1. अनुमति दी गई।

2. शिकायतकर्ता द्वारा यह तत्काल अपील, 2023 की आपराधिक विविध संख्या 28525 में पटना उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 से 4 को अग्रिम जमानत दिए जाने के विरुद्ध, दिनांक 25.07.2023 के आदेश के तहत, प्रस्तुत की गई है।
3. वर्तमान मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अपीलकर्ता ने थाना प्रभारी, मुफस्सिल के समक्ष 13.01.2023 को एक लिखित आवेदन प्रस्तुत किया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसी दिन शाम करीब 7 बजे, वह हंगामा सुनकर घर से बाहर आया था और देखा कि उसके 20 वर्षीय भतीजे मुकेश कुमार के शरीर में आग लगी हुई थी। जब अपीलकर्ता ने अपने घायल भतीजे से पूछा, तो उसे बताया गया कि सिंधु देवनाथ, संजीत देवनाथ, रतन देवनाथ (यहां उत्तरदाता सं. 2), ललिता देवी (यहां उत्तरदाता सं. 3), सुनील देवनाथ और रीना देवी (यहां उत्तरदाता सं. 4) ने उसे पकड़ लिया था, और सिंधु देवनाथ ने उसे बताया कि अपीलकर्ता का भतीजा उसकी बेटी से प्यार करता है और वे सभी उसे पीटने और गाली देने लगे। इसके अलावा, यह कहा गया कि सभी अभियुक्त व्यक्तियों ने मारने के इरादे से अपीलकर्ता के भतीजे पर मिट्टी का तेल डाला और उसके शरीर में आग लगा दी। इस प्रकार, 2023 का मोतीहारी मुफस्सिल थाना कांड सं. 28 भारतीय दंड संहिता, 1860<sup>1</sup> की धारा 341, 323, 307, 504 और 34 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दर्ज किया गया था।
4. उपचार के दौरान, अपीलकर्ता के भतीजे की 17.01.2023 को जलने के कारण मृत्यु हो गई और परिणामस्वरूप, भा.दं.स. की धारा 302 जोड़ी गई।
5. उपर्युक्त प्राथमिकी के संबंध में उनकी गिरफ्तारी की आशंका पर, उत्तरदाता सं. 2 से 4 ने सत्र न्यायालय के समक्ष अग्रिम जमानत की मांग हुए एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसे अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश-22, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी की न्यायालय ने अपने दिनांक 24.03.2023 के आदेश के अनुसार खारिज कर दिया था। इसके बाद,

---

1 "भा.दं.स.", इसके बाद

पुलिस ने आरोपी व्यक्तियों में से एक सिंधु देवनाथ के खिलाफ आरोप-पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें यह भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि अब तक की जांच से, प्राथमिकी में नामित सभी आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ मामला सही पाया गया है और मामले की अतिरिक्त जांच अभी भी लंबित थी।

6. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत खारिज किए जाने से व्यथित होकर, उत्तरदाता सं. 2 से 4 ने पटना उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया। उच्च न्यायालय ने, आक्षेपित आदेश के तहत, उत्तरदाता सं. 2 से 4 के आवेदन को स्वीकार कर लिया और उन्हें अग्रिम जमानत प्रदान कर दी।
7. अपीलकर्ता-शिकायतकर्ता दिनांक 25.07.2023 के आदेश से व्यथित है और उसने दलील दी है कि उच्च न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत देना अनुचित था।
8. तत्काल मामले में नोटिस 12.01.2024 को जारी किया गया था। हालाँकि, नोटिस की तालीम के बावजूद, उत्तरदाता सं. 2 से 4 शुरू में उपस्थित होने में विफल रहा। आखिरकार, उत्तरदाताओं ने पेश होकर जवाबी-हलफनामा दायर करने के लिए समय मांगा जो दिनांक 04.11.2024 के आदेश में दर्ज किया गया था। हालाँकि, 25.11.2024 को, हमें उत्तरदाता-अभियुक्त सं. 2 से 4 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अमिताव पोद्दार द्वारा अवगत कराया गया कि अभियुक्त व्यक्तियों ने उन्हें निर्देश दिया है कि वे अब उनकी ओर से उपस्थित न हों। इसलिए, हमने उत्तरदाता सं. 2 से 4 के के विरुद्ध गैर-जमानती वारंट जारी करने का निर्देश दिया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें हिरासत में लिया जाए और अगली तारीख पर इस न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए।
9. उपर्युक्त आदेश दिनांक 25.11.2024 के अनुसार, उत्तरदाता सं. 2 से 4 आज न्यायालय

में उपस्थित हैं।

10. श्री अरूप बनर्जी, एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड, उत्तरदाता सं. 2 से 4 का प्रतिनिधित्व करते हैं। उत्तरदाता सं. 4 को उप निरीक्षक श्री सुधीर तिवारी, पूर्वी चंपारण, बिहार द्वारा हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है।
11. चूँकि उत्तरदाता सं. 4 को हिरासत में पेश किया गया है और ऐसे गैर-जमानती वारंट केवल उपस्थिति के उद्देश्य से जारी किए गए थे क्योंकि उत्तरदाता इस न्यायालय में उपस्थित होने से बच रहे थे, इसलिए उन्हें रिहा करने का निर्देश दिया गया था।
12. उत्तरदाता-अभियुक्तों को अग्रिम जमानत देने के मामले का सवाल है, इस न्यायालय द्वारा सुशीला अग्रवाल बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली)<sup>2</sup> में कानून प्रतिपादित किया गया है, जिसमें यह माना गया है कि अग्रिम जमानत की राहत देते समय निम्नलिखित कारकों पर विचार किया जाना चाहिए, जो इस प्रकार हैं:

"92.4. अग्रिम जमानत देने या न देने पर विचार करते समय अदालतों को सामान्यतः अपराध की प्रकृति और गंभीरता, आवेदक की भूमिका और मामले के तथ्यों जैसे पहलुओं को ध्यान में रखकर निर्णय लेना चाहिए। जमानत देना या न देना विवेकाधिकार का विषय है; इसी प्रकार, यदि हाँ, तो किस प्रकार की विशेष शर्तें लगाई जाएँ (या न लगाई जाएँ) यह भी मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है और अदालत के विवेकाधिकार के अधीन है।"

13. उपर्युक्त कानून और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उत्तरदाताओं सहित सभी अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी में विशिष्ट दावे हैं कि उन सभी ने मृतक को मारने के इरादे से आग लगा दी थी, हम यह समझने में विफल हैं कि उच्च न्यायालय ने भा.दं.सं. की धारा 302 के तहत एक अपराध में उत्तरदाताओं को अग्रिम जमानत की

राहत कैसे प्रदान की। उच्च न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर विचार किए बिना गुप्त और यांत्रिक तरीके से राहत देने में गलती की है, जिसमें आरोप पत्र भी शामिल है जिसमें कहा गया है कि मिट्टी का तेल डालकर हत्या और मृतक को आग लगाने के इस तरह के जघन्य अपराध के सभी अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ मामला सही पाया गया है।

14. इसलिए, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, हम यह उचित नहीं समझते हैं कि उत्तरदाता-अभियुक्त को अग्रिम जमानत दी जानी चाहिए।
15. तदनुसार, तत्काल अपील की अनुमति है। उच्च न्यायालय के दिनांक 25.07.2023 के आक्षेपित आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है। उत्तरदाता सं. 2 से 4 को आज से चार सप्ताह के भीतर विचारण न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया जाता है और उन्हें नियमित जमानत के लिए आवेदन दायर करने की स्वतंत्रता दी जाती है, जिसे यदि दायर किया जाता है तो इस निर्णय में की गई किसी भी टिप्पणी से अप्रभावित होकर कानून के अनुसार उसके गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाए।
16. लंबित आवेदन(ओं), यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाए।

मामले का परिणाम: अपील की अनुमति दी गई।

*अंकिता ओझा, अवैतनिक सहायक संपादक द्वारा मुख्य-बिंदु तैयार किया गया  
(शादान फरासत, वरिष्ठ अधिवक्ता: द्वारा सत्यापित)*

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।